

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1982/चैत्र 1, 1904

No. 10] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1982/CHAITRA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1982

आ.अ. 19(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43)
की धारा 13ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 23 अक्टूबर, 1980 की
अधिसूचना संख्या 429/दिल्ली/79(1) में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे
अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 3 के सामने

विद्यमान प्रविष्टि सं. 2 के बाद, 3 बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित प्रविष्टियां :—

“3. श्री बी. एस. आनन्द कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स दिल्ली, और

4. श्री जे. एम. एल. भटनागर, निर्वाचन अधिकारी, बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, दिल्ली” ।

रखी जाएंगी ।

[सं. 429/दिल्ली/79 (1)]

आदेश से,

ओ. ना. नागर, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1982

O.N. 19(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 429/DL/79(1), dated 23 October, 1980, namely :—

In column 2 of the table appended to the said notification, after the existing entry numbered 2 appearing against item No. 3 relating to 3-Outer Delhi parliamentary constituency, the following entries shall be inserted :—

“3. Shri B. S. Anand, Executive Magistrate, Tis Hazari Courts, Delhi, and

4. Shri J. M. L. Bhatnagar, Election Officer, Outer Delhi parliamentary constituency, Delhi.”

[No. 429/DL/79(1)]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.